

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक B/1188 / जबलपुर, दिनांक 15/02/2019

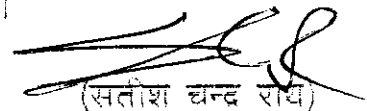
श्री कपिल जाम्बोलकर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर को अपराध क्रमांक 1118/18, धारा 378, 507 के अंतर्गत दिनांक 05.02.2019 से केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध रहने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी तथा कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण नियंत्रण अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20 सहपाठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1968 भाग-चार के नियम 9 (2) (क) के अंतर्गत गिरफ्तारी दिनांक 05.02.2019 से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर रहेगा। निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/1189 / जबलपुर, दिनांक 15/02/2019
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / (आई.एल.) / न्या. 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार,..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. अनुभाग अधिकारी स्था / लेखा / बजट / पेंशन उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक / सतर्कता / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्थापना / सेवा पुरस्तिका / वेतन पत्रक / लेखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री कपिल जाम्बोलकर, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Ran